हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 394 / 2024 अनवान देदाराम बनाम जगराम वगैराह

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी

07/10/24

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी मौजा करनपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 130 रकबा 23.3235 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा करनपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 130 रकबा 23.3235 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:33:17 IST
Reason: SelfAttested